संख्या-21/2018/632/18-2-2018-80(ल030)/2017

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2- समस्त अपर/ संयुक्त आयुक्त, उद्योग, परिक्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप आयुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 जून, 2018

विषयः- उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत "स्टार्ट-अप" को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-22/2017/869/18-2-2017-80(ल030)/2017, दिनांक 15-12-2017 द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 निर्गत की गई है।

2- उक्त नीति के प्रस्तर संख्या-7.8, 8.7 एवं 9.3 के अंतर्गत स्टार्टअप एवं उर्द्धगामी लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु वेंचर कैपिटल फंड के सृजन, प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य तकनीकी संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने एवं इस हेतु सूचना तंत्र विकसित किए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है ।

3- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति, 2017 का प्रख्यापन किया जा चुका है इसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-154/78-1-2018-25/2002, दिनांक 05-02-2017 (प्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्टार्टअप्स को सभी क्षेत्रों (Sectors) यथा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इण्टरनेट से जुड़े कार्य, 3-D प्रिंटिंग, बिग डेटा इत्यादि का कार्य करने की छूट होगी। इसी शासनादेश द्वारा वेंचर कैपिटल फंड की व्यवस्था का प्रावधान किया जा चुका है। इस प्रकार शासनादेश संख्या-143/78-2018-25/2012, दिनांक 01-02-2018 (प्रति संलग्न) द्वारा इन क्यूबेटर की स्थापना, प्रक्रिया एवं अनुमन्य सुविधाओं का प्राविधान किया जा चुका है।

4- अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-21/78-1-2018-25/2012 टी0सी0-1, दिनांक 24-01-2018 (प्रति संलग्न) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्टार्ट-अप नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि उक्त नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु प्राप्त आवेदन का स्थलीय निरीक्षण उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा करते हुए निरीक्षण आख्या उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अत इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत स्टार्टअप्स की सूची उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 से प्राप्त करने एवं उनमें से MSME प्रकृति के स्टार्ट-अप हेतु सूचना तंत्र विकसित करने तथा उनकी यथा आवश्यकता सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार चिन्हित MSME प्रकृति के स्टार्ट अप आदि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ पाने हेतु अर्ह है तो उस संबंध में भी परीक्षणोपरांत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त प्रस्तर-4 में वर्णित अपर मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24-01-2018 की अपेक्षानुसार निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(रवीश गुप्ता)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 154 /78-1-2018-25/2012

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त राजकीय एवं निजी प्रौद्योगिकी/प्रबन्धन/ शोध एवं विकास संस्थान/संगठन/ महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।
4- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1। लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत विन्दु संख्या 6 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "स्टार्ट-इन-उत्तर प्रदेश" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या 6 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "स्टार्ट-इन-उत्तर प्रदेश" में व्यवस्था है कि राज्य सरकार द्वारा INFUSE model (INcubators – FUnd of Funds - Startup Entrepreneurs) पर आधारित करते हुए स्टार्ट-अप संस्कृति को बढावा दिया जायेगा। सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3- इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप्स के लिए "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू 1000 करोड़ के यूपी स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना द्वारा, स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जायेगी। स्टार्ट-अप इकाई को रू 15,000/- प्रतिमाह एक वर्ष तक भरण-पोषण भत्ता (sustenance allowance) दिये जाने का प्राविधान है तथा स्टार्ट-अप को उसके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए रू 10 लाख की सीमा तक की सहायता, विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता के रूप में उनके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए प्रदान की जायेगी। उपरोक्त स्टार्ट-अप इकाइयों को भरण-पोषण भत्ता एवं विपणन/व्यवसायीकरण सहायता, प्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर में पंजीकृत होने के उपरान्त ही प्रदान की जायेगी। इन्क्यूबेट हुई स्टार्ट-अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 2,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्टस के लिए अनुमन्य होगी। स्टार्ट-अप फण्ड की निधि का निवेश स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा सेबी से

अनुमोदित निवेश में प्रतिभाग किया जायेगा। विकल्प स्वरूप, निधि का निवेश "डॉटर फण्ड्स" (Daughter Funds) में किया जायेगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सभी क्षेत्रों की अभिनव योजनाओं/विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जायेगा। सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में 25 प्रतिशत तक, अल्प सहभागिता की जायेगी। फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

4- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

4.1 मासिक भरण-पोषण भत्ता (**Sustenance allowance**) प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

4.1.1 मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृति हेतु स्टार्ट-अप इकाई का आवेदन पंजीयन-प्रपत्र (अनुलग्नक-1) पर, इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा अपनी संस्तुति (Letter of Recommendation) (अनुलग्नक-2) सहित, कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा पंजीयन-प्रपत्र, संस्तुति-पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। अतिरिक्त अभिलेख, यदि आवश्यक हो, कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे जाने पर, सम्बन्धित इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4.1.2 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त स्टार्ट-अप को मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.1.3 नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदनोपरान्त स्टार्ट-अप को मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। स्टार्ट-अप को भरण-पोषण भत्ता स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों से स्टार्ट-अप तथा इनक्यूबेटर/उत्प्रेरक को अवगत कराया जायेगा।

4.1.4 भरण-पोषण भते हेतु उपयुक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर /उत्प्रेरक को उपलब्ध कराई जायेगी और भरण-पोषण भत्ते का भुगतान इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा स्टार्ट-अप इकाई के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरण द्वारा मासिक आधार पर किया जायेगा। इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रदत्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.1.5 इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा स्टार्ट-अप इकाइयों की प्रगति आख्या त्रैमासिक आधार पर अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। प्रथम बार प्रगति आख्या, भरण-पोषण भत्ता प्राप्त होने से

छह माह पूर्ण होने पर एवं द्वितीय प्रगति आख्या एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तुत किया जायेगी।

4.2 स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण (Marketing/Commericalization assistance) सहायता प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

4.2.1 ऐसी स्टार्ट-अप इकाई, जिसने अपना उत्पाद/सेवा प्रायोगिक चरण (Pilot Stage) पर बाजार में उतारी हो, वास्तविक लागत के आधार पर रु 10 लाख की सीमा तक की सहायता हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

4.2.2 स्टार्ट-अप द्वारा अपनी व्यवसाय-योजना सम्बन्धित इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रस्तुत करनी होगी कि उसके द्वारा विपणन/व्यवसायीकरण सहायता का उपयोग, चरणबद्ध रूप से किस प्रकार किया जायेगा। व्यवसाय-योजना को इन्क्यूबेटर / उत्प्रेरक द्वारा परीक्षणोपरान्त, आवश्यक अभिलेखों-अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक 3 सहित कार्यदायी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4.2.3 कार्यदायी संस्था द्वारा पंजीयन-प्रपत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण वि ा जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। अतिरिक्त अभिलेख, यदि आवश्यक हो, कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे जाने पर, इन्क्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4.2.4 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण/ सत्यापन के उपरान्त स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.2.5 नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदनोपरान्त स्टार्ट-अप को विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों से स्टार्ट-अप तथा इनक्यूबेटर/उत्प्रेरक को अवगत कराया जायेगा।

4.2.6 विपणन/व्यवसायीकरण सहायता हेतु उपयुक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को उपलब्ध कराई जायेगी। इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रदत्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.2.7 स्टार्ट-अप को अपना उत्पाद/सेवा बाजार में उतारने हेतु विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता धनराशि का निर्धारण स्टार्ट-अप की आवश्यकता पर निर्भर होगा तथा उसका वितरण (Disbursement) इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई के स्तर पर समीक्षा के उपरान्त किया जायेगा।

4.2.8 स्टार्ट-अप द्वारा इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रगति आख्या प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा एवं स्टार्ट-अप द्वारा प्रस्तुत प्रगति आख्या के साथ व्यय की गई धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र अर्द्धवार्षिक आधार पर, प्रस्तुत किया जायेगा।

4.3 <u>पेटेन्ट्स ए इलिंग हेतु प्रोत्साहन का विवरण</u>

4.3.1 यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

4.3.2 यह स्टार्ट-अप्स की परिभाषा में आने वाली इन्क्यूबेटेड स्टार्ट-अप इकाई को ही अनुमन्य होगा।

4.3.3 पात्र इकाइयों को यह प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति के लिए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, कार्यदायी संस्था होगी।

4.3.4 इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत इन्क्यूबेट हुई स्टार्ट-अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रु 2,00,000 तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक वास्तविक पेटेन्ट्स ए इलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

4.3.5 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

4.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

4.4.1 यह प्रोत्साहन पात्र इकाईयों को केस-टू-केस आधार पर परीक्षण उपरान्त प्रदान किया जायेगा। पात्र इकाई द्वारा पेटेन्ट्स हेतु सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने और उसके लिए पेटेन्ट् फाइलिंग जमा कर दिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को सूचित किया जायेगा।

4.4.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग/प्रॉसीक्यूशन ऑफ पेटेन्ट एप्लीकेशन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा(अनुलग्नक-अ) पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप(अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक हैं:-

4.4.2.1 पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति

4.4.2.2 स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियों (specifications)/ विन्यास (drawings)/चित्र (designs)

4.4.2.3 ISO/ISI प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हो तो)

4.4.2.4 पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इन्वांयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित)

4.4.2.5 संयंत्र/उपकरणों/सॉफ्टवेयर/अन्य उपयुक्त निवेश के प्रमाण-स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र

4.4.2.6 आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक का शपथ-पत्र

4.4.2.7 आवेदक द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का अद्यतन विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित

4.5 <u>प्रोत्साहन की स्वीकृति की प्रक्रिया</u>

4.5.1 कार्यदायी संस्था द्वारा, इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

4.5.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/ विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

4.5.3 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था की संस्तुति पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।

4.5.4 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तद्विषयक उपयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

4.6 फण्ड ऑफ फण्ड्स (Fund of Funds) मॉडल के अन्तर्गत स्टार्ट-अप कॉर्पस फण्ड के निवेश की प्रक्रिया

4.6.1 उत्तर प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू 1000 करोड़ से यूपी स्टार्ट-अप कॉर्पस फण्ड बनाया जायेगा।

4.6.2 स्टार्ट-अप फण्ड की निधि का निवेश स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा सेबी से अनुमोदित निवेश में प्रतिभाग किया जायेगा। विकल्प स्वरूप, निधि का निवेश "डॉटर फण्ड्स" (Daughter Funds) में किया जायेगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सभी क्षेत्रों की अभिनव योजनाओं/विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जायेगा। सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में 25 प्रतिशत तक, अल्प सहभागिता की जायेगी। फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

4.6.3 उदाहरणतः निम्न-चित्र स्टार्ट-अप कापर्स के कार्य-सम्पादन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है:-

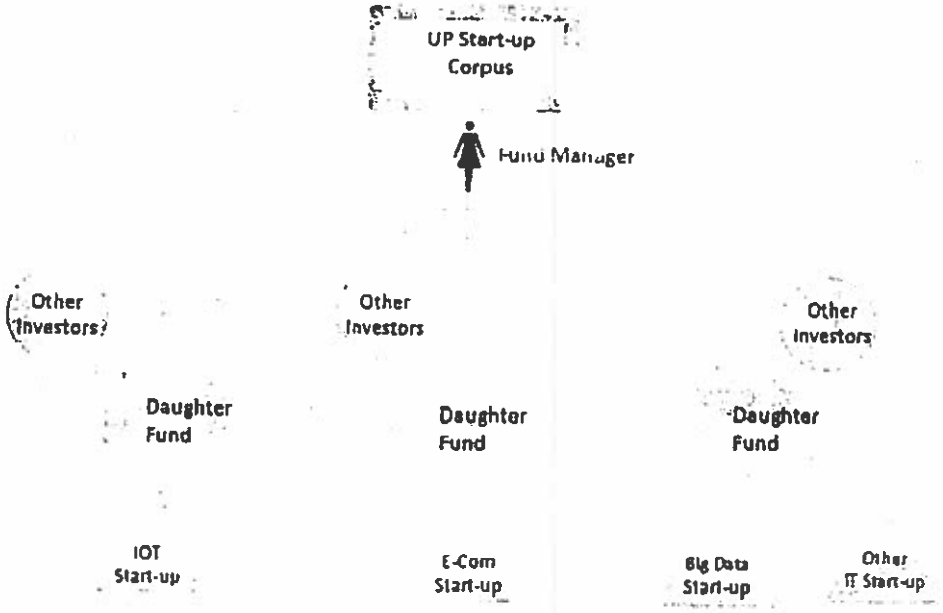

4.6.4 फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा। डॉटर फण्ड्स का पेशेवराना प्रबन्धन (professionally managed), निधि प्रबन्धक (Fund Manager) द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु SIDBI, Canbank Venture, सेबी द्वारा अनुमोदित वेन्चर फण्ड/एन्जेल फण्ड इत्यादि को कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा चयन किया जायेगा।

4.6.5 डॉटर फण्ड कापर्स का आकार बाजार की आवश्यकताओं तथा निधियों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु निधि प्रबन्धक की क्षमताओं पर निर्भर होगा (The Corpus of the Daughter Fund(Fund Size) may be determined by market requirements and the capacity of the Fund Manager to cater to the requirements of fund)। सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में एक अल्प सहभागिता यथा 25 प्रतिशत तक सहभागिता की जायेगी। बाकी का निवेश अन्य निवेशकों द्वारा पूर्ण (Pool-in) किया जायेगा।

4.6.6 निधियों की प्राप्ति (Raising of Funds), उसके निवेश तथा वैयक्तिक निवेश के अनुश्रवण का पूर्ण उत्तरदायित्व डॉटर फण्ड के निधि प्रबन्धक का होगा। डॉटर फण्ड के निधि प्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डॉटर फण्ड की स्थापना और उसके संचालन हेतु भारतीय कानूनों का अनुपालन किया जाये। यदि डॉटर फण्ड में कोई विदेशी निवेश है तो भारतीय रिजर्व बैंक/ Foreign Investment Promotion Board की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4.6.7 उत्तर प्रदेश शासन से निधियों (Funds) की आवश्यकता होने पर निधि प्रबन्धक द्वारा, उ0प्र0 शासन की प्रस्तावित निवेश वचनबद्धता के लिए कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) से आग्रह किया जायेगा। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपनी संस्तुति नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

4.6.8 उत्तर प्रदेश शासन की वचनबद्धता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात निधि प्रबन्धक द्वारा डॉटर फण्ड के लिए अन्य निवेशकों से निवेश प्राप्त किया जायेगा। डॉटर फण्ड के लिए सम्पूर्ण परिलक्षित धनराशि (अथवा उसके भाग) के लिए निवेशकों की वचनबद्धता प्राप्त कर लेने के उपरान्त निधि प्रबन्धक द्वारा, शासन सहित, सभी निवेशकों के साथ विधिक रूप से बाध्यकारी अनुबन्ध निष्पादित किये जायेंगे।

4.6.9 तत्पश्चात स्टार्ट-अप कापर्स फण्ड से वास्तविक रूप से आनुपातिक आधार पर निधियों (Funds) प्राप्त की जायेंगी।

4.6.10 निधि प्रबन्धक को, उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं हेतु शासन द्वारा प्रबन्धन शुल्क (management fees) का भुगतान किया जायेगा। निधि प्रबन्धक द्वारा शासकीय निवेश पर एक निश्चित दर (Hurdle Interest) से प्रतिफल सुनिश्चित करना होगा।

4.6.11 निधि प्रबन्धक द्वारा डॉटर फण्ड के कार्यकलापों/प्रगति तथा निवेश के महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाते हुए एक व्यापक समीक्षा आख्या कार्यदायी संस्था/ नीति कार्यान्वयन इकाई को अर्द्ध-वार्षिक आधार पर अथवा मांगे जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। निधि प्रबन्धक द्वारा सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate)/व्ययों का विवरण (Statement of Expenditure) कार्यदायी संस्था/नीति कार्यान्वयन इकाई को वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

4.6.12 डॉटर फण्ड से बाहर निकलना (Exit from Daughter Funds) डॉटर फण्ड से निकलने के दौरान निधि प्रबन्धक द्वारा वित्तीय लेखे तैयार किये जायेंगे एवं समस्त पूर्णता रिपोर्ट्स, सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्ययों का विवरण इत्यादि शासन/कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। निधि प्रबन्धक, डॉटर फण्ड द्वारा debt या equity realization/ liquidation की proceeds को वापस कापर्स फण्ड में अभिदान कर देगा।

4.7 <u>स्टार्ट-अप इकाई के दायित्व</u>

प्रोत्साहन धनराशियों की प्राप्ति के लिए स्टार्ट-अप इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक/कार्यदायी संस्था/नीति कार्यान्वयन इकाई/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

4.8 स्टार्ट-अप्स को सभी क्षेत्रों (sectors) यथा (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट से जुड़े कार्य, 3डी प्रिंटिंग, बिग डाटा इत्यादि) में कार्य करने की छूट होगी तथा उन्हें प्रौद्योगिकी से समर्थित होना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की स्टार्ट-अप्स द्वारा निम्नलिखित कार्य-क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया जायेगा:-

1- मोबाईल एवं सूचना प्रौद्योगिकी
2- इन्टरनेट से जुड़े कार्य, ई-कॉमर्स
3- इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन/वीएलएसआई डिजाइन/एडवान्स टेक्नोलॉजी
4- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में कोई मौलिक परिकल्पना/ प्रौद्योगिकी

4.9 <u>प्रोत्साहन अवधि</u>

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, अनुदान अनुमन्य होगा।

4.10 <u>सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रोत्साहनों की अनुमन्यता</u>

स्टार्ट-अप इकाइयों के सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र कम्पनी के रूप में विकसित हो जाने पर, उत्तर प्रदेश में अपनी इकाई स्थापित करने उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017 के समस्त प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4.11 <u>आच्छादन</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4.12 <u>परिभाषायें</u>

एतद्द्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार

4.13 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

4.14 <u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

स्टार्ट-अप इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी

गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

6- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1132/78-1-2016-25/2012टीसी-3 दिनांक 19 अगस्त 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नकः यथा उपरोक्त

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1(1)/78-1-2018-25/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
8- अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ०प्र० शासन।
9- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
10- औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
11- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
12- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
13- प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।
14- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि०, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०, श्रीट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।
15- गार्ड फाइल।

02-02-18
02/02/18

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव

संख्या- 143 /78-1-2018-25/2012

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1 समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त राजकीय एवं निजी प्रौद्योगिकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थान/संगठन /महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।
4 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 01 फरवरी ~~जनवरी~~, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 6.1 इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश में शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नॉन-प्राफिट संगठनों/कारपोरेटस/उद्योग संघों जैसे मेजबान (Host) संस्थानों में [illegible] उत्प्ररका की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

3- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-

3.1 शासकीय मेजबान संस्थानों की स्थिति में टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप के 75 प्रतिशत की सीमा तक तथा अन्य मेजबान संस्थानों की स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा तक पूँजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम धनराशि रू 1 करोड़ होगी।

3.2 यही सीमा विद्यमान इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरकों को क्षमता विस्तार की स्थिति में उनके सुदृढ़ीकरण हेतु लागू होगी।

3.3 यदि उपादान धनराशि में वृद्धि की आवश्यकता हो तो उस पर सशक्त समिति द्वारा केस-टू-केस आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

3.4 इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को उनके परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि तक रू 5 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

3.5 इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक से सम्बद्ध, प्रति परामर्शदाता/ उपदेशक (Mentors) रू 2 लाख मानदेय प्रदान किया जायेगा। यह सहायता कोचिंग, पथ-प्रदर्शन, यात्राओं, अस्थायी-आवास इत्यादि व्ययों के निमित होगी। इसके अतिरिक्त कोच (Coach) का भी चयन किया जायेगा जो कि स्थानीय परितंत्र के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हो।

4 उपरोक्त हेतु पात्र संस्थानों/संस्थाओं/संगठनों को अनुदान प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

1 <u>अनुदान हेतु संस्थानों की पात्रता तथा उनसे अपेक्षायें</u>

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्ट-अप परितंत्र को सामर्थ्य प्रदान करने के लिए शासकीय एवं निजी तकनीकी, प्रबन्धन, शोध एवं विकास संस्थानों, संगठनों/नान-प्राफिट संगठनों/ कारपोरेट्स/उद्योग संघों जैसे मेजबान (Host) संस्थानों में अथवा पी.पी.पी. माध्यम से इन्क्यूबेटर्स अथवा उत्प्रेरकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

चयनित इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप्स को निम्नवत् सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगेः-

कार्यालय स्थान तथा सहभागी प्रशासनिक सेवायें (office space and shared administrative services)

प्रशिक्षण अथवा उच्च गति इन्टरनेट सम्पर्क जैसी सेवायें (services such as training or High-Speed Internet access)

नेटवर्किंग कार्यकलाप तथा विपणन सहायता (Networking activities and Marketing assistance)

उच्च शैक्षणिक संसाधनों से सम्पर्क (Links to higher education resources)

अन्य सहायता जो स्टार्ट-अप्स के लिए उपयुक्त हो।

2 <u>प्रोत्साहन अवधि</u>

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, इन्क्यूबेटर्स का परिचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।

3 <u>आच्छादन</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4 <u>परिभाषा</u>

4.1 "वर्ष का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

4.2 "कार्यदायी संस्था" अथवा "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/ नोडल एजेन्सी से है। शासन द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोशन लि0 को "कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी" नामित किया गया है।

4.3 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के प्रस्तर 7 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

4.4 निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने वाली किसी संस्था (entity) को स्टार्ट-अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगाः-

- संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो।
- स्टार्ट-अप्स को परिभाषित करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (E) दिनांक 23 मई 2017 में भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के नियमों एवं शर्तों को संस्था (entity) पूरा करती हो।

टिप्पणीः कोई अन्य शर्त, जैसाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये।

5 <u>इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों के चयन एवं पूंजीगत अनुदान देने की प्रक्रिया</u>

5.1 संस्थान द्वारा अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का कार्यदायी संस्था द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

5.2 संस्थान द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा संस्थान से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/ विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को संस्थान द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

5.3 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान दिये जाने हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

5.4 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। मेजबान संस्थान को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

5.5 मेजबान संस्था को दी जाने वाली अनुदान धनराशि दो समान किश्तों में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम किश्त के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट-अप की 25 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी। पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किश्त का भुगतान संस्थान को, उसके द्वारा किए जाने वाले समानुपातिक व्यय तथा शासन द्वारा दी गई प्रथम किश्त की 70 प्रतिशत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी। निजी मेजबान संस्थान की स्थिति में, उसके द्वारा व्यय के पश्चात, प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5.6 संस्था को स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

6 <u>इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति की प्रक्रिया</u>

6.1 परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु संस्थान द्वारा अपने आवेदन वार्षिक आधार पर कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे जिनका परीक्षण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा एवं परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

6.2 आवेदन-पत्र के साथ, संस्थान के पिछले वर्ष के वार्षिक-लेखे से हानि-लाभ लेखे की चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

6.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त परिचालन व्ययों से हुई हानि की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता अवमुक्त की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू 5 लाख प्रति वर्ष होगी।

6.4 किसी वित्तीय वर्ष में परिचालन व्ययों से होने वाली हानि की पूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून होगी।

7 <u>परामर्शदाता/उपदेशक को मानदेय धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया</u>

7.1 संस्थान द्वारा परामर्शदाता/उपदेशक (Mentors) का पैनल तैयार किया जायेगा। इसे कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत कर परामर्शदाता/ उपदेशक (Mentors) की नियुक्ति करने के पूर्व पैनल पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7.2 परामर्शदाता/उपदेशक (Mentors) को मानदेय धनराशि हेतु आवेदन का परीक्षण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा एवं अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

7.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त संस्थान को मानदेय धनराशि वास्तविक आधार पर, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इन्क्यूबेटर रू 2.00 लाख प्रतिवर्ष होगी, अवमुक्त की जायेगी। किसी वर्ष में संस्थान को प्रदत्त मानदेय धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अगले वर्ष हेतु देय मानदेय धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

7.4 नोडल एजेन्सी द्वारा एक विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध किया जायेगा जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि विधिक, वित्तीय, निवेशक, विपणन एवं लेखा इत्यादि से होंगे। इनके द्वारा दी गयी सेवायें स्टार्ट-अप्स तथा इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। इन विशेषज्ञों को मानदेय की प्रक्रिया उपरोक्त विधि के अनुसार होगी।

8 स्थान के लीज/रेन्टल का प्रतिपूर्तिः इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक जिस स्थान पर परिचालन-रत हों उसके लीज/रेन्टल शुल्क के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जिसकी सीमा रू 10 लाख प्रति वर्ष होगी, 5 वर्ष अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रोत्साहन की प्राप्ति की प्रक्रिया एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को पट्टे/किराये पर लिये गये स्थान के लीज/रेन्टल की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शासनादेश से शासित होगी, किन्तु बुन्देलखण्ड/पूर्वान्चल क्षेत्र की इकाइयों हेतु अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरक को अनुमन्य नहीं होंगे।

9 अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्तिः इन्क्यूबेटर्स/ उत्प्रेरक, भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत क्रय किये जाने या पट्टे पर लिये जाने हेतु, प्रथम ट्रांजेक्शन पर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। इस प्रोत्साहन की प्राप्ति की प्रक्रिया एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी छूट सम्बन्धी शासनादेश से शासित होगी। पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा पंजीयन शुल्क की रसीद तथा आवश्यक दस्तावेज, नोडल इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।

10 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्तिः पात्र इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को 5 वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। इस प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एम.एस.एम.ई सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शासनादेश से शासित होगी।

11 <u>पात्र संस्थान के दायित्व</u>

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए पात्र संस्थान द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था/ पी.आई.यू./आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

12 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

13 <u>प्रोत्साहन अनुदान नि रस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

संस्थान द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्थान द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

6- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 895/78-1-2016-25/2012टीसी-3 दिनांक 09 अगस्त 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

<u>संलग्नकः यथा उपरोक्त</u>

भवदीय,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-14301/78-1-2018/तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3 [illegible] आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।

6 अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

7 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

8 अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।

9 अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

10 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

11 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

12 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।

13 प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

14 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।

15 गार्ड फाइल।

01-02-18

आज्ञा से,

(हरी राम)

अनु सचिव

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

अर्द्धशा.प.सं.-21/78-1-2018-
25/2012टीसी-1
उत्तर प्रदेश शासन
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
कक्ष सं. 209, योजना भवन, सचिवालय
लखनऊः दिनाँकः 24 जनवरी, 2018

प्रिय महोदय

कृपया अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रख्यापित "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति" के अन्तर्गत पात्र संस्थानों/इकाइयों को विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य है। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था है।

2 अनुमन्य प्रोत्साहनों की पूर्ति के लिए संस्थानों/इकाइयों द्वारा अपने आवेदन एवं तत्सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, जिन पर उक्त नीति के अन्तर्गत शासन स्तर पर गठित "नीति कार्यान्वयन इकाई" द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है। "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति" के अन्तर्गत नीति कार्यान्वयन इकाई के गठन से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या-843/78-1-2015-25/2012टीसी-1 दिनाँक 14 जुलाई 2015 की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

3 उक्त के क्रम में सम्भावित इन्क्यूबेटर्स/स्टार्ट-अप्स/सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों द्वारा समय-समय पर उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति" के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं जिन पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित होता है।

4 नीति कार्यान्वयन इकाई के स्थायी निर्देश हैं कि उक्त नीति के अन्तर्गत, वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों के समस्त प्रकरणों में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा इकाई का भ्रमण कर अपनी निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जाये।

5 इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया सभी जिला उद्योग केन्द्रों के उपायुक्त/महाप्रबन्धक को इस आशय से निर्देशित करने का कष्ट करें कि "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति" के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु उनके जनपद स्थित आवेदक इकाईयों के आवेदन में दर्शाये गये तथ्यों की पुष्टि उपरान्त, जिला उद्योग केन्द्र की निरीक्षण आख्या यूपी इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0 को उपलब्ध करा दी जाये, जिससेकि आवेदनों पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जा सके। आवेदक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों/अभिलेखों यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों को यथासमय उपलब्ध कराये जायेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

सद्भावी,

भवदीय,

(संजीव सरन)

श्री रणवीर प्रसाद,
संयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0
उद्योग भवन, आई रोड
कानपुर-208005

प्रस्तावित आवेदक इकाइयों द्वारा आवेदन/अभिलेख यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0 द्वारा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्रों को यथासमय भेज दिया जायेगा। जिला उद्योग अधिकारियों से निवेदन है कि भ्रमण कर अपनी निरीक्षण आख्या निम्नवत् तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करें।

आईटी/आईटीईएम इकाई का निरीक्षण हेतु प्रारूप

क्र0सं0	विषय	
1	इकाई का नाम	
2	इकाई का पूरा पता	
3	भूमि का क्षेत्रफल जिसमें इकाई स्थापित है	
4	इकाई के पैन(PAN) कार्ड की कापी	
5	इकाई का जी0एस0टी0आई0एन0 (GSTIN)	
6	इकाई का टैन (TAN)	
7	निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation)	
8	वाणिज्य कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तारीख (Commencement of Business)	
9	इकाई का डोमेन एरिया	
10	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पहचान पत्र की प्रतिलिपि पते के साथ	
11	अब तक की तारीख तक किये गये निवेश की धनराशि (रूपये में)	
12	इकाई के नामांकित कर्मचारी कुशल/अकुशल (जांच के दिन)	
13	प्रारम्भ हुये उद्योग का माह/वर्ष	
14	उद्योग बंद होने के मामले में कृपया कारण बतायें, यूनिट बंद क्यूं हुई और यूनिट बंद होने के दिनों की संख्या बतायें (माह/वर्ष में)	
15	अन्य कोई जरूरी विवरण	
16	निरीक्षण के दिन इकाई अधिकारी के हस्ताक्षर	

कृपया निम्नलिखित चित्र संलग्न करें:–

1. इकाई (आवश्यक परिसर के बाहर और अन्दर के चित्र)
2. निरीक्षण के दिन इकाई के अधिकारी का चित्र।

निरीक्षण अधिकारी का नाम/पदनाम

निरीक्षण की तारीख :

स्थान :

19/7/16 07 16.

उत्तर प्रदेश शासन

आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-843/78-1-2016-25/2012टीसी-1

लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1157/78-1-2012-127/2012 दिनांक 18 दिसम्बर 2012 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति, उ0प्र0-2012 के बिन्दु 4.7 में निहित व्यवस्था के अनुपालन में उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु एक नीति कार्यान्वयन इकाई (Project Implementation Unit) के गठन हेतु यूपीएलसी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016 25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

3- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के बिन्दु 3.4.1 में व्यवस्था है कि प्रदेश में यूपीएलसी द्वारा एक नीति कार्यान्वयन इकाई (Project Implementation Unit) का गठन किया जायेगा जिसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी रखे जायेंगे तथा बाहर से लिये गये परामर्शी (Consultants on outsourcing basis) होंगे जो 5 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति (Empowered [illegible] सहायता करेंगे।

4- उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु गठित नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) की प्रमुख गतिविधियां (Key-Activities) निम्नवत् होंगी:-

- सम्भावित निवेशकों हेतु एस्कार्ट सेवायें (Escort Services to potential investors)।
- समस्त सूचना प्रौद्योगिकी निवेश/प्रस्तावों तथा परियोजना प्रस्तावकों हेतु एकल सम्पर्क केन्द्र (Single Point of Contact)।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 का विपणन (marketing)।
- शासकीय प्राधिकारियों से समन्वयन (Liaison)।
- एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance) व्यवस्था का कार्यान्वयन।
- नीति कार्यान्वयन योजना में सहायता।
- उद्योगों तथा उद्योग-संघों से सम्बद्धता (Engagement with Industries and Industry Associations)।
- सशक्त समिति (Empowered Committee)) के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास।
- यथा-आवश्यकता, कार्यों की आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति पर निर्णय।

P.S. द्वि०

[illegible]

19.07.16.

5- उक्त नीति के बिन्दु 3.4.2 एकल खिड़की निस्तारण सहायता (Single Window Clearance & Facilitation) में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में उद्यमियों (entrepreneurs) तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को सांविधिक (statutory) मामलों के निस्तारण जैसे प्रदूषण नियंत्रण, फैक्ट्री एक्ट, दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान कानून, मजदूरी भुगतान कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदा श्रम कानून, विद्युत आवंटन इत्यादि में सक्रिय एवं प्रभावी सहायता/क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
10	[illegible]	सदस्य सचिव

6- नीति कार्यान्वयन इकाई समयबद्ध रूप से अन्य अवरोधों के निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगी। यदि समय-सीमा के भीतर समस्या का समाधान अथवा अवरोध का निवारण नहीं हो पाता है तो एक निश्चित अन्तराल के बाद प्रकरण प्रमुख सचिव/सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृतियों की आवधिक समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

7- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-635/78-1-2013-132/2012 दिनांक 13 अगस्त, 2013 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1396/78-1-2013-132/2012 दिनांक 24 दिसम्बर 2013 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-843(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समिति के समस्त सदस्यगण।
3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-गाल एवेन्यू, लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लिमिटेड/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।